



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012020-215154
CG-DL-E-04012020-215154

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941

No. 07]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 9(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,--

(क) उपनियम (1) में,--

(i) आरंभिक भाग में "2019" अंकों के स्थान पर, "2020" अंक रखे जाएंगे ;

(II) खंड (क) के परंतुक में,—

(i) मद (v) में, अंत में आने वाले “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(vii) दो या अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त स्वामित्व में किसी गृह संपत्ति का स्वामी है ; या
(viii) धारा 139 की उपधारा (1) के सातवें परंतुक के अधीन आय की विवरणी देने की अपेक्षा है।”;

(III) खंड (गक) के परंतुक में,—

(i) परंतुक में मद (v) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(vi) दो या अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त स्वामित्व में किसी गृह संपत्ति का स्वामी है ;”;

(ख) उपनियम (5) में, “2018” अंकों के स्थान पर, “2019” अंक रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों की परिशिष्ट (II) में, प्ररूप “सहज (आईटीआर-1)” और “सुगम (आईटीआर-4)” के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:—

[अधिसूचना सं. 01/2020/फा. सं. 370142/32/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (16वां संशोधन) नियम, 2019, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 960(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा किया गया था ।

आ.क.वि.- 1 सहज	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष					
	<p>ऐसे व्यष्टिकों के लिए, जो (सामूची तौर पर निवासी से भिन्न) निवासी हैं, जिनकी वेतन, एक गृह संपत्ति (एकल स्वामित्व), व्याज से आय, कुटुंब पेंशन से आय आदि से पचास लाख रुपए तक आय है और कृषि से आय पांच हजार रुपए तक है।</p> <p>[किमी ऐसे व्यष्टिक के लिए नहीं, जो किसी कंपनी में या तो निदेशक है या जिसने असूचीबद्ध साम्या शेरों में विनिधान किया है और जिसकी 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन हानि को आगे ले जाया गया है/पीछे से लाया गया है या जिसे आय-कर अधिनियम की धारा 139(1) के मातर्वे परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करनी है।]</p> <p>(पात्रता के लिए अनुरोध देखें)</p>	2	0	2	0	-	2

भाग क साधारण जानकारी																						
स्थायी लेखा संख्या							नाम	जन्म की तारीख		आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)												
							दि	दि	मा	मा	व	व										
मोबाइल नं.							ई-मेल पता	पता : फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं. परिसर / भवन / ग्राम मार्ग / गली / डाकघर क्षेत्र / अवस्थान नगर / शहर / जिला राज्य देश पिनकोड														
क्या आपके पास विधिमान्य पासपोर्ट है ?		हां/नहीं (ड्राप डाउन का उपबंध किया जाना है)						यदि हां, पासपोर्ट संख्यांक दें														
धारा के अधीन फाइल (चिह्न लगाएं) / कृपया अनुरोध देखें/		<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या इससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 119(2)(ब)- विलंब को माफ करने के पश्चात्																				
या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148																				
यदि पुनरीक्षित / वृद्धि हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)																						/ /
यदि धारा 139(9)/142(1)/148 या धारा 119(2)(ब) के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है -- ऐसी सूचना या आदेश की विशिष्ट संख्या एवं तारीख दर्ज करें																						/ /

भाग ख - सकल कुल आय												केवल संपूर्ण रुपए (₹) में				
ख1	नियोजक के ब्यौरे : नियोजक का टीएएन (यदि कर की कटौती हुई है, तो अनिवार्य), नियोजक का नाम, नियोजक की प्रकृति), नियोजक का पता, नगर/शहर, राज्य, पिन/जिप कोड (यदि टीएएन दिया गया है, तो पता का ब्यौरा पहले भरा जाए)										यहां नियोजक के ब्यौरे दें					
	i	सकल वेतन (क + ख + ग)										i				
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन					क									
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य					ख									
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ					ग									
	(एक से अधिक नियोजक की दशा में, सकल वेतन के लिए बहु-पंक्तियां जोड़ें)															
	ii	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)										ii				
	iii	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) (सुनिश्चित करे कि उपरोक्त (ii) में कुल सकल वेतन में इसे सम्मिलित किया गया है)										iii				
iv	शुद्ध वेतन (ii - iii)										iv					
v	धारा 16 के अधीन कटौतियां (वक + वख + वग)										v					
गृह संपत्ति	क	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती					वक									
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता					वख									
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर					वग									
	vi	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (v - v)										ख1				
ख2	लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> स्व:अधिभोग <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई, संपत्ति का पता ; नगर/शहर; राज्य, पिन कोड/जिप कोड										यदि किराए पर दी गई है, तो किराएदार के ब्यौरे दें, किराएदार का नाम, स्थायी लेखा संख्या या आधार (यदि उपलब्ध है)					
	i	सकल प्राप्त/प्राप्य किराया /किराए योग्य मूल्य										i				
गृह संपत्ति	ii	किराए की रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती है					ii									
	iii	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर					iii									
	iv	कुल (ii + iii)					iv									
	v	वार्षिक मूल्य (i - iv) (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्व:अधिभोग में है)										v				
	vi	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत					vi									
	vii	उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज					vii									
	viii	कुल (vi + vii)										viii				
ix	बकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया किराया घटा 30%										ix					
x	'गृह संपत्ति' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (v - viii) + ix										ख2 ()					

ख3 अन्य स्रोतों से आय (आय की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)		
घटा : धारा 57(ii) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)		
कम करें : धारा 57(iv) के अधीन कटौती [धारा 56(2)(viii) के अधीन प्राप्त ब्याज की दशा में]	ख3	
ख4 सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3) (यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें)	ख4 ()	

भाग ग – कटौतियां और कराघेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें)

80ग	80गग	80गगघ(1)	80गगघ (1ख)	80गगघ(2)	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यर्तित भरे जाएं)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यर्तित भरे जाएं)	80 घ घ ख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यर्तित भरे जाएं)	80 उ	80 उ उ
80उ-उ-क	80उ-उ-ख	80ख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यर्तित भरे जाएं)	80खख (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यर्तित भरे जाएं)	80खखक (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यर्तित भरे जाएं)	80खखग	80ननक	80ननख	80प (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यर्तित भरे जाएं)	
कुल कटौतियां				ग1	कुल आय (ख4 - ग1)			ग2	

रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण - यदि कृपि आय 5000/- रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है)	छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें
---	--

भाग घ – संदेय कर की संगणना

घ 1 कुल आय पर संदेय कर	घ 2 धारा 87क के अधीन छूट	घ 3 रिबेट के पश्चात् कर
घ 4 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घ3 पर @ 4% उपकर	घ 5 कुल कर और उपकर	घ 6 धारा 89 के अधीन राहत
घ 7 धारा 234क के अधीन ब्याज	घ 8 धारा 234ख के अधीन ब्याज	घ 9 धारा 234ग के अधीन
घ 10 धारा 234च के अधीन फीस	घ 11 कुल कर, फीस और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)	
घ 12 कुल संदेय कर	घ 13 कुल संदेय (घ11 - घ12) (यदि घ11 > घ12)	घ 14 प्रतिदाय (घ12 - घ11) (यदि घ12 > घ11)

भाग ड – अन्य जानकारी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)

क्रम सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	(प्रतिदाय के लिए खाते(तों) पर <input type="checkbox"/> चिन्हकित करें)
I				
II				

अनुसूची-आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

आर 1	वीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (तारीख / मास / वर्ष)				चालान सं.				संदत्त कर			
	(स्तंभ i)				(स्तंभ ii)				(स्तंभ iii)				(स्तंभ iv)			
आर 2																

अनुसूची – स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर संगृहित कर के स्रोत पर कर कटौती ब्यौरे [कटौतीकर्ता/नियोजक/सदाता / संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16 / 16क / 16ग / 27घ]

कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता का टेन या किराएदार का पेन	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता / किराएदार का नाम	समग्र संदाय / रसीद, जो कर कटौती / संग्रहण के अधीन है	कर कटौती / संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया / संग्रह किया गया कर	(5) में से वर्ष के दौरान दावा किया गया टीडीएस/ टीसीएस
स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)
टी					
टी					

सत्यापन

स्टॉप रसीद सं. प्राधिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख और हस्ताक्षर

मैं, पुत्र / पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)।

तारीख:

हस्ताक्षर:

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो नीचे ब्यौरे दीजिए :

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हक्कार है तो उसकी रकम		

आ.क.वि.-4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष 2020-21
<p>[व्यष्टिकों, हि.अवि.कु. और फर्मों (एलएलपी से भिन्न) के लिए, जो ऐसे निवासी हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है, एक गृह संपत्ति (एकल स्वामित्व) है, कारबार और वृत्ति से ऐसी आय है, जो धारा 44कघ, 44कचक या 44कड के अधीन संगणित है या व्याज आय, कुटुंब पेंशन आदि हैं और पांच हजार रुपए तक कृषि आय है। [किसी ऐसे व्यष्टिक के लिए नहीं, जो किसी कंपनी में या तो निदेशक हैं या जिसने अस्वीकृत साम्या शेरों में विनिधान किया है या जिसकी 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन हानि को आगे ले जाया गया है/पीछे से लाया गया है। (पात्रता के लिए अनुदेश)]</p>		

भाग क साधारण जानकारी

(ए.1) प्रथम नाम

(ए.2) मध्य नाम

(ए.3) अंतिम नाम

(ए.4) स्थायी लेखा संख्या

(ए.5) जन्म की तारीख

(ए.6) फ्लैट/द्वार/भवन

(ए.7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम

(ए.8) मार्ग/गली/डाक-घर

(ए.9) क्षेत्र/अवस्थान

(ए.10) नगर/शहर/जिला

(ए.11) राज्य

(ए.12) देश

(ए.13) पिन कोड/ज़िप कोड

(ए.14) आधार नम्बर (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)

(ए.15) प्रास्थिति

(ए.16) मोबाईल नं 1 निवास/ कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं 0

 व्यष्टि हि.अवि.कु. फर्म (एलएलपी से भिन्न)

(ए.17) मोबाईल नं 2

(ए.18) ई मेल पता - 1 (स्वयं)

ई मेल पता - 2

(ए.19) क्या आपके पास विधिमान्य पासपोर्ट है

हां/नहीं (ड्राफ्ट डाउन का उपबंध किया जाना है)

यदि हां, पासपोर्ट संख्यांक दें

(ए.20) धारा ... के अधीन फाइल की गई (सही का 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, 139(4) नियत तारीख के पश्चात्, 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, 119 (2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात् निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई 139(9) 142 (1) 148 153क 153ग

(ए.21) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं (फर्म की दशा में लागू नहीं) - यदि हां, निम्नलिखित सूचना दें

(सही का निशान लगाएं)

 हां नहीं

क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)

(यदि हां है तो) रकम (₹)

क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है

(यदि हां है तो) रकम (₹)

क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)

(यदि हां है तो) रकम (₹)

(ए.22) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)

(ए.23) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन सूचना या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है -- ऐसी सूचना या आदेश की विशिष्ट संख्या एवं तारीख दर्ज करें

(ए.24) प्रतिनिधि निर्धारित के ब्यौरे, यदि लागू हो

(1)	प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत	
(3)	प्रतिनिधि का पता	
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार	

(ए.25) क्या आप किसी फर्म में भागीदार हैं? (सही का निशान लगाएं) हां नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें

क्र.सं.	फर्म का नाम	स्थायी लेखा संख्या
(i)		

(ए.26)	व्यक्तियों के ब्यौरे, जो फर्म में भागीदार हैं (फर्म की दशा में लागू)						
	क्र.सं.	नाम और पता	अंश का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्यांक / नामांकन आईडी (यदि आधार के लिए अर्हक हैं)	पूंजी पर ब्याज का प्रतिशत	संदत/संदेय पारिश्रमिक
	(i)						

भाग ख - सकल कुल आय

केवल संपूर्ण (₹) में

ख 1	नियोजक के ब्यौरे : नियोजक का टीएएन (यदि कर की कटौती हुई है, तो अनिवार्य), नियोजक का नाम, नियोजक की प्रकृति, नियोजक का पता, नगर/शहर, राज्य, पिन/जिप कोड (यदि टीएएन दिया गया है, तो नाम और पता पहले से भरा होगा)					यहां नियोजक के ब्यौरे दें	
वेतन/पेंशन	I सकल वेतन					i	
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन			ik		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य			ikx		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार			ig		
	एक से अधिक नियोजक की दशा में सकल वेतन के लिए बहु-पंक्तियां जोड़ें)						
कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)	ii धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) (सुनिश्चित करें कि उपरोक्त (ii) में कुल सकल वेतन में इसे सम्मिलित किया गया है)					ii	
	iii शुद्ध वेतन (i - ii)					iii	
	iv धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)					iv	
	क	धारा 16 के अधीन मानक कटौतियां			ivक		
	ख	धारा 16 के अधीन (ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता			ivख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर			ivग		
v 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टीडीएसआई, यदि लागू हो)					ख 2		
ख 2	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई <input type="checkbox"/> संपत्ति का पता ; नगर/शहर, राज्य, पिन कोड /जिप कोड					यदि किराए पर दी गई है, तो किराएदार के ब्यौरे दें, किराएदार का नाम, स्थायी लेखा संख्या या आधार (यदि उपलब्ध है)	
गृह संपत्ति	i सकल प्राप्त/प्राप्य किराया/किराए योग्य मूल्य					i	
	ii किराए की रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती है					ii	
	iii स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर					iii	
	iv कुल (ii + iii)					iv	
	v वार्षिक मूल्य (i - iv) (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्व:अधिभोग में है)					v	
	vi वार्षिक मूल्य का 30%					vi	
	vii उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज					vii	
	viii कुल (vi + vii)					viii	
	ix वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया					ix	
	x 'गृह संपत्ति' शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (v- viii + ix) (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं)					ख 2 ()	
ख 3	कारबार या वृत्ति से आय (अनुसूची बीपी के ड9 से मूल्य भरे)					ख 3	
ख 4	अन्य स्रोतों से आय (आय की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)-- टिप्पण- "अनुसूची टीडीएस 2" को भरना सुनिश्चित करें, यदि लागू हो						
कम करें : धारा 57(ii) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)							
कम करें : धारा 57(iv) के अधीन कटौती (धारा 56(2)(viii) के अधीन प्राप्त ब्याज की दशा में)					ख 4		
ख 5	सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3 + ख 4)					ख 5 ()	

भाग ग - कटौतियाँ और कराधेय कुल आय ("आय-कर अधिनियम" के अनुसार कटौतियों की रकम संबंधी सीमाओं के लिए अनुदेशों को देखिए) (ई-फाइलिंग द्वारा अनुसूची का उपबंध करना है)									
ग 1	80 ग		ग 2	80 गगग		ग 3	80 गगघ(1)		
ग 4	80गगघ(1ख)		ग 5	80गगघ (2)		ग 6	80 घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		
ग 7	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		ग 8	80 घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		ग 9	80ड		
ग 10	80डड		ग 11	80डडक		ग 12	80डडख		
ग 13	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		ग 14	80छछ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		ग 15	80छछग		
ग 16	80ननक		ग 17	80ननख		ग 18	80प		
ग 19	कुल कटौतियाँ (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)								ग 19
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)								ग 20

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1	
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2	
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4	
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5	
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत	घ 6	
घ 7	राहत के बाद अतिशेष (घ 5 - घ 6)	घ 7	
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल व्याज	घ 8	
घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल व्याज	घ 9	
घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल व्याज	घ 10	
घ 11	धारा 234च के अधीन शुल्क	घ 11	
घ 12	कुल कर, शुल्क और व्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12	
घ 13	संदत कुल अग्रिम कर	घ 13	
घ 14	संदत कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14	
घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15	
घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16	
घ 17	कुल पूर्व संदत कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17	
घ 18	कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18	
घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19	
घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण - यदि कृषि आय 5000/-रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू फाइल करनी है) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें)	घ 20	

बैंक खाता	घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण				
		क्र०सं०	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	(प्रतिदाय के लिए सही का <input type="checkbox"/> निशान लगाएं)
		i				
		ii				

अनुसूची बी.पी. - कारबार या वृत्ति से आय के ब्यौरे							
धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना							
क्र.सं.	कारबार का नाम			कारबार कोड		वर्णन	
(i)							
ड 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां						
	क	खाता देय बैंक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाधान पद्धति के माध्यम से या विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्राप्त			ड 1क		
	ख	कोई अन्य प्रणाली			ड 1ख		
ड 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय						
	क	ड 1क का 6% या उपाजित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो			ड 2क		
	ख	ड 1ख का 8% या उपाजित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो			ड 2ख		
	ग	कुल (क + ख)			ड 2ग		
टिप्पण -- यदि आय, सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है, तो धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा अनिवार्य है और अन्य आय-कर विवरणी, जो लागू हो, प्रस्तुत की जानी है							
धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना							
क्र.सं.	कारबार का नाम			कारबार कोड		वर्णन	
(i)							
ड 3	सकल प्राप्तियां					ड 3	
ड 4	धारा 44कघक के अधीन उपधारणात्मक आय (ड3 का 50%) या उपाजित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो					ड 4	
टिप्पण— यदि आय, सकल प्राप्तियों के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा अनिवार्य है और अन्य आय-कर विवरणी, जो लागू हो, प्रस्तुत की जानी है							
धारा 44कड के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना							
क्र.सं.	कारबार का नाम			कारबार कोड		वर्णन	
(i)							
ड 5	धारा 44कड के अधीन उपधारणात्मक आय से संबंधित सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां					ड 5	
	निर्धारित के स्वामित्व वाले माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं.	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी.ट. में)	मासों की संख्या, जिनमें माल वाहन स्वामित्व में रहा है	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणात्मक आय (12 मी0ट0 से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु. प्रति माह की दर से	माल वाहन की दशा में कुल उपधारणात्मक आय (3*4)	आय, जिसका माल वाहन की दशा में वास्तव में अर्जित करने का दावा किया गया है	धारा 44कड के अधीन उपधारणात्मक आय, (5) या (6) में से उच्चतर
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क)							
(ख)							
आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्यां 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)							
ड 6	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (7) का योग]					ड 6	
टिप्पण- यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विनिर्दिष्ट से कम है या स्वामित्व में वाहनों की संख्या किसी भी समय 10 वाहनों से अधिक है, तो अन्य आय-कर विवरणी, जो लागू हो, प्रस्तुत की जानी है							
ड 7	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज, यदि कोई है,					ड 7	
टिप्पण- यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा							
ड 8	धारा 44 कड (ड7 - ड8) के उपधारणात्मक आय					ड 8	
ड 9	व्यवसाय या वृत्ति के अधीन प्रभार्य आय (ड 2ग + ड 4+ ड 8)					ड 9	
माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना							
टिप्पण- प्रत्येक जीएसटीआइएन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-							
च 1	जीएसटीआइएन सं. (संख्याएं)					च 1	
च 2	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य					च 2	

उपधारणात्मक आय से संबद्ध नकद और बैंक संव्यवहारों का विवरण			
	वर्णन	नकद	बैंक (सभी बैंक खातों की सकल रकम)
छ1	आरंभिक अतिशेष		
छ2	पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्तियां (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)		
छ3	पूर्व वर्ष के दौरान संदाय/ निकासी (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)		
छ4	अंतिम अतिशेष		
टिप्पण ▶ उन सभी दशाओं में, जहां 44कघ, 44कघक और 44कड लागू है या लेखा पुस्तकें रखे जाना अपेक्षित नहीं है, भरा जाना आज्ञापक है।			

अनुसूची-आयकर		आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे															
		वीएसआर कोड (स्तंभ 1)				निक्षेप की तारीख (स्तंभ 2)				चालान सं. (स्तंभ 3)				संदत्त कर (स्तंभ 4)			
	आर 1																
	आर 2																
	आर 3																
टिप्पण ▶		घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।															

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]

क्रम सं०	संग्रहणकर्ता का कर संग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ▶ कृपया घ16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें					

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्यांक (टैन) स्तंभ (1)	नियोजक का नाम स्तंभ (2)	वेतन के अधीन आय स्तंभ (3)	कटौती किया गया कर स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण -- कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या प्रस्तुत प्ररूप 16ग के अनुसार]

क्र. सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैना	अशेषित अदायाकृत स्रोत पर कर कटौती	चालू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष दावा किया जा रहा स्रोत पर कटौती किया गया कर (केवल तभी जब सुसंगत प्राप्ति का इस वर्ष कर के लिए प्रस्तावित है)	प्रस्तावित सुसंगत प्राप्ति	अशेषित स्रोत पर कर कटौती		
(1)	(2)	कटौती का वित्तीय वर्ष	अशेषित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम	आय का सीष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								
टिप्पण ▶ कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।								

सत्यापन

में.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

में यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ/रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का/की धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान

तारीख

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

यहां हस्ताक्षर करें→

केवल शासकीय कार्य के लिए

यहां प्राप्ति नं. की स्टंप

प्राप्तिकर्ता पदचारी की मोहर, तारीख और नाम

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर